



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052025-263272
CG-DL-E-21052025-263272

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2230]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 2025/वैशाख 31, 1947

No. 2230]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 2025/VAISAKHA 31, 1947

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2025

का.आ. 2284(अ).—जबकि, भारत सरकार ने भारत में ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (जीबीए) के सचिवालय की स्थापना के लिए 11 अक्तूबर, 2024 को ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के साथ मेजबान देश करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

और जबकि, मेजबान देश करार के अनुच्छेद X में ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के सचिवालय, इसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का प्रावधान है;

और जबकि, केंद्र सरकार उपर्युक्त मेजबान देश करार के अनुच्छेद X के अनुसार ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के सचिवालय, इसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत प्रदान किए गए आवश्यक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का विस्तार करना समुचित मानती है।

अतः अब, केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद I की धारा 1 के प्रावधान, अनुच्छेद II के तहत प्रावधान, अनुच्छेद III की धारा 9, अनुच्छेद V की धारा 18 और 20

और अनुच्छेद VI की धारा 22 और 23 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित, ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (जीबीए) के सचिवालय, इसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर लागू होंगे।

[फा. सं. सं. डी-II/451/16(1)/2024]

अंशुमान गौड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2025

S.O. 2284(E).— Whereas, the Government of India signed the Host Country Agreement with the Global Biofuels Alliance on 11th October, 2024 for establishing the Secretariat of the Global Biofuels Alliance (GBA) in India;

And whereas, Article X of the Host Country Agreement provides for privileges and immunities of the Secretariat of the Global Biofuels Alliance, its representatives and officials;

And whereas, the Central Government considers it expedient to extend the necessary privileges and immunities provided under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) to the Secretariat of the Global Biofuels Alliance, its representatives and officials in accordance with Article X of the above mentioned Host Country Agreement.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of section 1 of Article I, provisions under Article II, section 9 of Article III, sections 18 and 20 of Article V and sections 22 and 23 of Article VI of the Schedule to the said Act shall apply, *mutatis mutandis*, to the Secretariat of the Global Biofuels Alliance (GBA), its representatives and officials.

[F. No. D-II/451/16(1)/2024]

ANSHUMAN GAUR, Jt. Secy.